पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 04 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

नोएडा के सेक्टर 148 एवं 123 में 400 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र एवं 400 के0वी0 मोनोपोल लाइन के निर्माण को मंजूरी

400 के0वी0 उपकेन्द्र (जी0आई0एस0), सेक्टर–148, नोयडा, 400 के0वी0 उपकेन्द्र (जी0आई0एस0), सेक्टर–123, नोयडा तथा सेक्टर–148 उपकेन्द्र, नोयडा से सेक्टर–123 उपकेन्द्र, नोयडा तक 400 के0वी0 मोनोपोल डी0सी0 का कार्य निश्चित समय–सीमा में निर्माण की आवश्यकता के दृष्टिगत यह समस्त कार्य नोएडा प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 को ''जहाँ है जैसे है'' आधार पर हस्तान्तरित कर कर दिये गये। 400 के0वी0 उपकेन्द्र नोएडा सेक्टर–148 के 400 के0वी0 तंत्र की आंकलित लागत रू0 165.57 करोड़; 400 के0वी0 उपकेन्द्र नोएडा सेक्टर–123 के 400 के0वी0 तंत्र की आंकलित लागत रू0 141.41 करोड़ एवं 400 के0वी0 सेक्टर–148 – सेक्टर–123 डी0सी0 लाइन की आंकलित लागत रू0 98.35 करोड़ , तीनों अवयवों की समग्र आंकलित लागत रू0 405.33 करोड़ होगी। नोएडा के जमा मद के माध्यम से पोषित होने वाले 220 के0वी0 विभव तंत्र को समाहित करते हुये परियोजना की कुल लागत रू0 796.95 करोड़ होगी। 400 के0वी0 विभव तंत्र के निर्माण में आने वाली लागत (रू0 405.33 करोड़) का वित्त पोषण 70:30 के अनुपात में संस्थागत वित्तीय संस्थाओं एवं शासकीय अंशपूंजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

जनपद बस्ती के भौखरी में 400 के0वी0 उपकेन्द्र एवं तत्सम्बंधी लाइनों के निर्माण को मंजूरी

प्रदेश के पूर्वी भाग के गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तथा प्रदेश में स्थापित की जा रही टाण्डा तापीय परियोजना (विस्तार) से उत्पादित ऊर्जा की निकासी सुनिश्चित करने हेतु 400 के0 वी0 उपकेन्द्र भौखरी (जी0आई0एस0), जनपद बस्ती एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। निर्मित होने वाले उपकेन्द्र एवं लाइन की कुल लागत रू0 829.59 करोड़ आंकलित है। इस उपकेन्द्र की पूर्णता के उपरान्त गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज इत्यादि जनपदों में समुचित ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिसके फलस्वरूप औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन की पारेषण लाइनों के लिए कृषकों/भू–स्वामियों को भूमि मुआवजे हेतु केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों को अंगीकृत करने का निर्णय

वर्तमान में प्रदेश में निर्मित की जा रही पारेषण लाइनों में लाइन निर्माण के दौरान मात्र क्षतिग्रस्त हुई फसलो के लिए क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रविधान है। लाइन निर्माण हेतु स्थापित किये जाने वाले टावरो के नीचे की भूमि के अधिग्रहण का मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है। उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 के अन्तर्गत निर्माण होने वाली विभिन्न विभव की लाइनों में वर्तमान क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त Land compensation के मद मे टावर बेस के नीचे की 85 प्रतिशत क्षेत्रफल भूमि की लागत के रूप में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है। Land compensation के मद मे क्षतिपूर्ति की लागत की गणना उस क्षेत्र विशेष के जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार की जायेगी। यह व्यवस्था अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से लागू होगी।

'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे' पर स्थापित दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन तथा एक्सप्रेस–वे पर 05 एम्बुलेंस एवं 10 पेट्रोलिंग वाहनों की तैनाती हेतु एजेंसियों के चयन प्रस्ताव को मंजूरी

1. 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल क्लेक्शन तथा एक्सप्रेसवे पर 5 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती हेतु मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के चयन किये जाने एवं मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 को लेटर आफ अवार्ड जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा 'जहाँ है, जैसा है' आधार पर दो मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा को हस्तांतरित करने आदि के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित है।
2. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' में टोल की वसूली हेतु एजेन्सी के चयन में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नही आयेगा, अपितु टोल वसूली के प्रथम वर्ष में ही रू0 222.00 करोड़ की आय जनित होगी।
3. टोल हेतु चिह्नित निविदाकर्ता के चयन की अनुमति के पश्चात् 15 दिन की अवधि में चयनित टोल एजेन्सी द्वारा टोल की वसूली प्रारम्भ कर दी जायेगी।
4. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश की पूर्वी सीमा का प्रदेश की राजधानी होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी तक त्वरित गति की सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।
5. एक्सप्रेसवे के निर्माणोंपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
6. 06–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे होने के कारण इस एक्सप्रेसवे से ईंधन की महत्वपूर्ण बचत एवं प्रदूषण नियंत्रण भी सम्भव हो सकेगा।
7. परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पयर्टन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

8. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे आच्छादित क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादक इकाईयों, विकास केन्द्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में सहायक होगा।

9. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैण्डलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, मंडी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों आदि की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा।

10. टोल एजेन्सी द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली के कार्य सम्पादित करने के साथ ही 10 पेट्रोल कार तथा 5 एम्बुलेन्स भी उपलब्ध कराये जायेगें जिसके फलस्वरुप एक्सप्रेसवे का प्रयोग करने वालों की यात्रा सुरक्षित होगी तथा दुर्घटना की दशा में तुरन्त चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध होगी।

11. टोल एजेन्सी द्वारा लगभग 1 हजार व्यक्तियों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप में रोजगार के अवसर जनित होंगे।

मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सुविधाओं का प्रस्ताव अनुमोदित

- प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने हेतु लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं।
- लेटर आफ कम्फर्ट की शर्तों के अनुसार निर्धारित निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन के उपरान्त सर्वश्री श्री सीमेण्ट लि., बुलन्दशहर , सर्वश्री रिलायन्स सीमेण्ट कम्पनी प्रा. लि., रायबरेली (ग) सर्वश्री वरूण बेवरेजस लि. सण्डीला हरदोई एवं (घ) सर्वश्री पसवारा पेपर्स लि., मेरठ द्वारा क्रमशः रू. 60.96 करोड़, रू. 42.28 करोड़, रू. 20.51 करोड़एवं रू. 1.38 करोड़ (कुल रू. 125.13 करोड़) राशि की वित्तीय सुविधायें वितरित करने हेतु अनुरोध किया गया है। सर्वश्री एल.जी. इलेक्टानिक्स इण्डिया प्रा. लि., ग्रेटर नोएडा द्वारा निवेश श्रेणी में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण हेतु क्रय की जा रही भूमि/भवनों में सेवईत सम्पत्तियों के विनिमय के सम्बन्ध में

- धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र वाराणसी के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण योजना प्रारम्भ की गयी है।
- उक्त योजनान्तर्गत गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग विस्तारीकरण हेतु 166 भवनो/भूमि का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
- उक्त भवनों मे 24 सेवईत सम्पत्तियां हैं जिन्हें विनिमय के आधार पर लिया जाना है।
- विनिमय के अन्तर्गत सेवईतों को वाराणसी में दूसरी जगह लगभग 10 प्रतिशत अधिक या कम लागत की सम्पत्ति क्रय कर सम्बन्धित सेवईत को सेवईतनामा दिया जायेगा।
- उक्त 24 सेवईत सम्पतियों की मूल्यांकन रू0 14.55 करोड का व्यय अनुमानित है।

जनपद मीरजापुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कृषि विभाग की भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव अनुमोदित

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) में समूह–8 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र मीरजापुर में जनपद–मीरजापुर का चयन जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु किया गया है।

मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.07.2018 को राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर का शिलान्यास किया जा चुका है तथा कृषि विभाग की 10.00 एकड़ भूमि राजकीय मेडिकल कालेज हेतु ली जा चुकी है। राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर हेतु ग्राम–पिपराडाड तहसील मीरजापुर सदर की गाटा संख्या–315 में से कृषि विभाग की 10 एकड़ भूमि मेडिकल कालेज हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तथा अन्य कोर्स प्रारम्भ करने की आवश्यकता के दृष्टिगत अभी से अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। वर्तमान में ग्राम–पिपराडाड की गाटा संख्या–315 में से अवशेष 9.220 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो कि कृषि विभाग के स्वामित्व में है। इस भूमि को मेडिकल कालेज हेतु ले लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है तथा ऐसी स्थिति में मेडिकल कालेज का कुल क्षेत्रफल 29.49 एकड़ हो जायेगा।

ग्राम–पिपराडाड स्थित गाटा संख्या–315 में से 10 एकड़ भूमि प्राप्त करने के उपरान्त राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर का फ्रण्ट 125 मीटर हो रहा है जबकि कृषि विभाग की 9.220 एकड़ भूमि मिलने के फलस्वरूप कुल फ्रण्ट 300 मीटर हो जायेगा। उक्त अतिरिक्त भूमि प्राप्त होने के पश्चात राजकीय मेडिकल कालेज का फसाड/एलीवेशन अच्छा हो जायेगा तथा दो तरफ से मार्ग मिलने से आवागमन में सुविधा होगी।

आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को उ0प्र0 में एश्योरेन्स मोड पर संचालित किया जाएगा

- भारत सरकार द्वारा एस0ई0सी0सी0–2011 डाटा बेस (सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना) में सम्मिलित पात्र परिवारों को चयनित निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों मे प्रतिवर्ष रू0. 5.00 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु "आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन" प्रारम्भ किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश में योजना को इंश्योरेन्स मोड के स्थान पर एश्योरेन्स मोड में संचालित किया जायेगा।
- "आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन" में सेकेण्ड्री, टर्शियरी तथा गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु प्रति परिवार प्रतिवर्ष रू0. 5.00 लाख तक निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होगी।
- भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटाबेस में उत्तर प्रदेश में लाभार्थी परिवारों की कुल संख्या लगभग 1.18 करोड़ तथा कुल लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 6 करोड़ है।
- लाभार्थी परिवार को रू0. पॉच लाख तक प्रति वर्ष प्रति परिवार फ्लोटर के आधार पर अनुबन्धित राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा दी जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत बीमारियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 1350 सर्जिकल/मेडिकल पैकेज निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित मानक एवं पैकेजों के अनुसार लाभार्थियों को अनुबन्धित चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त 1350 सर्जिकल/मेडिकल पैकेज का विवरण साचीज की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के संचालन हेतु "साचीज" को अधिकृत किया गया है, जो स्टेट हेल्थ एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। इस योजना के परिप्रेक्ष्य में स्टेट हेल्थ एजेन्सी के सी0ई0ओ0/आपरेशन्स टीम के मार्ग दर्शन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण (Counselling and Overseeing) हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक गवर्निंग कौन्सिल होगी
- चिकित्सालयों में लाभार्थियों की पहचान करने, आवश्यक पैकेज का प्री आथराइजेशन, इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी से प्राप्त करने तथा योजना के मानक के अनुसार लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्धित चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र तैनात किये जायेंगे।
- अनुबन्धित चिकित्सालयों के क्लेम का भुगतान तथा योजना के प्रशासनिक मद में व्यय हेतु पृथक–पृथक एस्क्रो एकाउण्ट खोल कर उनमें प्राविधानित धनराशि स्थानांतरित की जायेगी। दोनो मदों मे होने वाले व्यय भार का वहन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जायेगा।

जनपद न्यायालय, इलाहाबाद के 24 कोर्ट रूम के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

- जनपद न्यायालय इलाहाबाद के विस्तार के अन्तर्गत 24 कोर्टरूम के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 27 जुलाई,2012 द्वारा रू0 2455.42 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0500.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। पुनः शासनादेश दिनांक 19 मार्च,2014 द्वारा रू0500.00 लाख, दिनांक 29–01–2015 द्वारा रू0500.00 लाख दिनांक 11 जनवरी,2016 द्वारा रू0500.00 लाख दिनांक 11 अक्टूबर,2017 द्वारा रू0250.00 लाख तथा दिनांक 20 नवम्बर,2017 द्वारा रू0205.42 की स्वीकृति निर्गत की गयी है। इस प्रकार मूल अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

- प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का परामर्श व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26–05–2018 में दिया गया है।
- जनपद न्यायालय इलाहाबाद के विस्तार के अन्तर्गत 24 कोर्टरूम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रस्तुत रू05985.84 लाख के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष कुल रू05480.60 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है।
- आवश्यकता को देखते हुए तथा जिले की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए फाल्स सीलिंग एवं वुडेन क्लोरिंग जैसी उच्च विशिष्टियों का प्राविधान किया गया है। इसमें क्रमशः रू0 162.03 लाख एवं रू0 64.66 लाख का व्ययभार आयेगा।
- **वर्णित स्थिति में मा0 जनपद न्यायालय इलाहाबाद के विस्तार के अन्तर्गत 24 कोर्टरूम के निर्माण मे प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों, जैसे– फाल्स सीलिंग एवं वुड ब्लाक फ्लोरिंग के प्रयोग पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।**

- प्रस्ताव पर परामर्शी विभागों द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माणाधीन कार्य की पुनरीक्षित आगणन की लागत रू0–2236.61 लाख + (जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी) आंकलित की गयी है, जिसमें एलुमिनियम एक्सट्रेडेड टयूबलर, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग तथा जिप्सम बोर्ड फाल्स सीलिंग आदि से संबंधित उच्च विशिष्टियों के निर्माण संबंधी व्यय–भार रू0–160.16 लाख भी सम्मिलित है। उक्त उच्च विशिष्टियों से केन्द्रीय पुस्तकालय के ए.सी. संचालन के विद्युत भार तथा न्वाइज लेवल आदि में कमी आयेगी, जिससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के अध्ययन तथा पठन–पाठन में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। उक्त केन्द्रीय पुस्तकालय के उच्च विशिष्टियों से आच्छादित निर्माण कार्य एवं उसके व्यय–भार पर मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

किसान इण्टर कॉलेज, पीलीचौकी, बिजनौर तथा श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरैला, महोबा को हाई स्कूल स्तर पर अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय

रिट याचिका संख्या–42673/2011 प्रबन्ध समिति, किसान इण्टर कालेज पीली चौकी बिजनौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के दिनांक 01.12.2014 तथा रिट याचिका संख्या–15968/2015 प्रबन्ध समिति, श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.3.2015 के अनुपालन के विधिक बाध्यता के दृष्टिगत क्रमशः शासनादेश संख्या–1299/15–8–2016–3003(50)/08 टीसी दिनांक 19.10.2016 द्वारा किसान इण्टर कालेज, पीलीचौकी बिजनौर एवं शासनादेश–1311/15–8– 2016–3003(79)/14 दिनांक 28.10.2016 द्वारा श्री गोकुल प्रसाद बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरैला, महोबा को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी निर्गत की गयी सैद्धान्तिक सहमति एवं उसके क्रम में प्रश्नगत विद्यालयों में मानकानुसार पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्गों के लिए लागू करने के सम्बन्ध में

- उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सम्बन्ध में समय–समय पर केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को लागू किया गया है। 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को दिनांक 01–1–2006 से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में लागू किया गया है।
- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 यथा संशोधित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2017 द्वारा केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में तथा आदेश संख्या–1-7/2015-U.II (2) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 यथा संशोधित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2017 द्वारा केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी के सम्बन्ध में लागू किया गया है।
- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, `उच्च शिक्षा विभाग की आदेश संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 यथा संशोधित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2017 में बिन्दु संख्या–1 से 14 में केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के वेतन निर्धारण की विधि, वेतन स्तर, पे मैट्रिक्स, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशकों, कुलपति तथा प्रति कुलपति के पुनरीक्षित वेतन, महाविद्यालयों के प्राचार्यों का पुनरीक्षित वेतन, उच्च अर्हताओं हेतु वेतन वृद्धि इन्सेंटिव, वेतनवृद्धि, प्रमोशन, भत्तों, अधिवर्षता एवं पुनर्योजन आदि का उल्लेख है। बिन्दु संख्या 16 में वेतन पुनरीक्षण योजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत् है :–
  (1) यह योजना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों, ऐसी संस्थाओं, डीम्ड विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा समकक्ष शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनका अनुरक्षण, व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है। इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रख्यापित विनियमों तथा उसके संशोधनों तथा उपरोक्त आदेश दिनांक 02 नवम्बर, 2017 में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार किये जाने के अधीन होगी। इस योजना को लागू करने वाले विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह परामर्श दिया जायेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 03 माह के अंदर अपने सुसंगत परिनियमों तथा अध्यादेशों में आवश्यक संशोधन कर लेंगे।

(2) यह योजना कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक संवर्गों तथा प्रति कुलपति एवं कुलपति के सम्बन्ध में लागू नही होगी।

(3) यह योजना एकम्पनिस्ट, कोच, ट्यूटर्स और डिमान्सट्रेटर्स पर लागू नहीं होगी। इन संवर्गों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा इसके आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अनुमोदित वेतन स्तर ही लागू होंगे।

(4) यह योजना राज्य की विधायिका से आच्छादित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी :–

क– वेतन पुनरीक्षण योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2019 तक राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के बिलों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति के माध्यम राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। प्रतिपूर्ति का केन्द्रांश दिनांक 01–1–2016 को भरे हुए नियमित पदों के सापेक्ष ही वित्तीय सहायता के रूप में दिया जायेगा। तत्पश्चात कोई केन्द्रीय सहायता अनुमन्य नही होगी।

ख– वेतन पुनरीक्षण योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का 50 प्रतिशत राज्य सरकार को अपने स्रोतों से वहन करना होगा।

ग– राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31–3–2019 के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा ताकि केन्द्र सरकार केन्द्रांश की धनराशि को अवमुक्त किया जा सके। उक्त तिथि के उपरान्त कोई प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

- वेतन पुनरीक्षण योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप आकलित व्ययभार रूपये 9,21,53,72,171(रू0 नौ अरब इक्कीस करोड़ तिरपन लाख बहत्तर हजार एक सौ इकहत्तर मात्र) का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 4,60,76,86,086 (रूपये चार अरब साठ करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार छियासी मात्र) की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के माध्यम से दिनांक 31–3–2019 तक प्रदान की जायेगी। इस प्रकार वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार पर 4,60,76,86,085 (रूपये चार अरब साठ करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पच्चासी मात्र) का अतिरिक्त व्ययभार अनुमानित है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण योजना को उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक तथा समकक्ष संवर्गों के सम्बन्ध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार लागू किया जाना प्रस्तावित है :–

(1) वेतन पुनरीक्षण योजना दिनांक 01–1–2016 से लागू की जायेगी।

(2) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी द्वारा इस आशय की एक अण्डर टेकिंग दी जायेगी कि वेतन स्तर के पुनरीक्षण पर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण अथवा अनुचित वेतन स्तर और वेतन प्रकोष्ठ या अन्य अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किये जाने की दशा में अग्रिम भुगतान अथवा भुगतान के अन्यथा अवसरों पर उस प्रकिया के अनुसार समायोजित किया जायेगा, जिसे वित्त मंत्रालय (Department of Expenditure) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1–5/2016– आई0सी0 दिनांक 29 जुलाई, 2016 द्वारा निर्धारित किया गया है।

(3) वेतन पुनरीक्षण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग की आदेश संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 यथा संशोधित आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2017 (छाया प्रति संलग्न) के प्रस्तर 2 में उल्लिखित पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

(4) स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिये 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन अनुमन्य होगा किन्तु उन्हें विशेष भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

(5) वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियां भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग की आदेश संख्या–1-7/2015-U.II (1) दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के प्रस्तर 2 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

———————————

PN-CM-Cabinet Decision-04 September, 2018